

कार्यालय: जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्र सं० 690/अ0जि0अ0(भू0अ0)/न0म0पा0-1, लखनऊ दि० 17 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 नियम 3 (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संचालित मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के सम्पूर्ण विकास हेतु स्थाई रूप से आवश्यकता है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही से पूर्व चयनित एजेन्सी द्वारा लोक हित में सामाजिक समाघात आंकलन (Social Impact Assessment) व सामाजिक प्रबन्धन योजना तैयार किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1	अपेक्षक निकाय का नाम	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ			
2	प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संचालित मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के सम्पूर्ण विकास हेतु भूमि अर्जन			
3	संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा।	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।			
4	संगठन का सम्पर्क विवरण	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर- ओ, अलीगंज, लखनऊ। दूरभाष : 0522-2321860, 2325021, 2334059, 2324294 फैक्स : 0522-2332640 ग्राम ग्रीन्सट, ई-मेल- gids@sancharnet.in वेबसाईट : http://gids.org.in			
5	भूमि का विवरण				
	जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हि०)
1	लखनऊ	लखनऊ	बाघामऊ	73 P	0.232
2				147	0.089
3				149	0.101
4				247 P	0.263
5				251	0.395
6				266 Ka	0.111
7				317 K, P	0.057
8				317 kha	0.114
9				374 P	0.107
10				382 K, P	0.032
11				397	0.177
12				442 kha	0.084
13				568 P	0.304
14				729 P	0.215

14			729 P	0.215
15			732 P	0.017
			योग	2.298

- 1: प्रस्तावित योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संचालित मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के सम्पूर्ण विकास सम्बन्धी है।
- 2: उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभा भूमि, ग्राम सभा की सहमति से पुनर्ग्रहीत हो चुकी है। योजना से प्रभावित लगभग 84.72 प्रतिशत (179.445 हे0) भू-स्वामियों द्वारा सहमति के आधार पर अपने स्वामित्व की भूमि डेवलपर्स के पक्ष में विक्रय की जा चुकी है। अवशेष भूमि अर्जन के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है।
- 4: सामाजिक समाघात का निर्धारण अधिकतम 60 दिनों के अन्दर पूर्ण कराया जाना है।

टिप्पणी : उक्त योजना सम्बन्धी विस्तृत विवरण (जनपद लखनऊ क्षेत्र) कलेक्टर (अर्जन प्रयोजनार्थ), कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन), नगर महापालिका-प्रथम, 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ में सभी कार्य दिवसों में देखा जा सकता है।

(कौशलराज शर्मा),
जिलाधिकारी,

लखनऊ।

संख्या व दिनांक : उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, अनुभाग-13, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- (2) अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- (3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- (4) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- (5) निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- (6) मण्डलायुक्त लखनऊ।
- (7) निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर-ओ, अलीगंज, लखनऊ को उपर्युक्तानुसार अनुपालनाथ।

जिलाधिकारी,

लखनऊ।